भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3689
25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कुक्कुट पालन में एंटीबायोटिक का अंधाधुंध उपयोग

3689. श्री विष्णु दत्त शर्मा:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय कुक्कुटपालन उद्योग में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध उपयोग के बारे में जानकारी है जिससे माइक्रोबीयल रेजिस्टेन्स, सुपरबग/रोगों के बढ़ने की आशंका के साथ-साथ यह कुक्कुट तथा पशु मांस के उपभोक्ताओं के लिए भी खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में फ्री रेनज के चिकन के लिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने सहित इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के मद्देनजर कुक्कुट उद्योग के लिए कोई सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मानक बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): एनवायरनमेंटल हैल्थ पर्सपेक्टिव्स नाम पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि पोल्ट्री फार्मों में वृद्धि संवर्धक के रूप में एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से अध्ययनगत फार्मों में अत्यधिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का बड़ा स्रोत पनप गया।

उक्त मुद्दे पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा हितधारकों के साथ की गई बैठक के बाद, विशेषज्ञ समूह ने पोल्ट्री और पशुधन में कोलिस्टिन के प्रोफाइलैक्टिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की थी। डीसीजीआई ने तदनुसार खाद्य उत्पादक जानवरों, पोल्ट्री, जलकृषि और पशु आहार पूरक के लिए कोलिस्टिन और इसकी संघटक दवाओं के विनिर्माण, विक्रय और वितरण पर जुलाई, 2019 में प्रतिबंध लगा दिया है।
पशुपालन और डेयरी विभाग ने खाद्य उत्पादक जानवरों के उपचार में एंटीबायोटिक्स का युक्तिसंगत प्रयोग करने और पशु आहार में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से बचने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी की हैं।

*****